छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा द्वादश सत्र अंक-18

रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 2013

(फाल्गुन-22, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री रविन्द्र चौबे के स्थान पर श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य एवं प्रश्न संख्या 03 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री रामदेव राम के स्थान पर श्री टी.एस.सिंहदेव, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 16 तारांकित एवं 31 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पृच्छा

जिला बिलासपुर, विकासखंड मस्तूरी के ग्राम भदौरा में सरकारी एवं निजी जमीनों की खरीदी बिक्री में अनियमितता की जाना

श्री नंदकुमार पटेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा जिला बिलासपुर, विकासखंड मस्तूरी के ग्राम भदौरा में सरकारी एवं निजी जमीनों की खरीदी बिक्री में अनियमितता किए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि इस विषय पर प्रतिपक्ष ने शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया। यह विषय स्थगन का नहीं है इसलिए उन्होंने स्थगन को अग्राह्य कर दिया है।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।

माननीय अध्यक्ष ने पुनः कथन किया कि बजट पर चर्चा में हर विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा में आपके पास अनेक अवसर मिलेंगे। माननीय अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े जाने हेतु श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य का नाम पुकारा एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही आगे चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.05 बजे स्थगित की जाकर 12.20 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने हेतु पुनः मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही आगे चलाने में सहयोग का आग्रह किया एवं ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े जाने हेतु श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य का नाम पुनः पुकारा।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.24 बजे स्थगित की जाकर 1.04 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने हेतु पुनः मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया है। आपके पास बजट सत्र में चर्चा के अनेक अवसर उपलब्ध हैं एवं ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ने हेतु श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य का नाम पुकारा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि बजट सत्र में स्थगन के माध्यम से चर्चा न होने की परंपरा रही है। प्रतिपक्ष अन्य माध्यम से अपनी बात कह सकता है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई एवं वक्तव्य की मांग की गई।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

5. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

(1) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

(2) श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

(3) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

6.वर्ष 2013-2014 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के विभागों की मांगो पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः-

डॉ.हरिदास भारद्वाज ने चर्चा में भाग नहीं लिया। श्रीमती लक्ष्मी बधेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

7. बहिर्गमन

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन से वक्तव्य न

आने के विरोध में दिन भर के लिए सदन से बहिर्गमन किया ।

8.वर्ष 2013-2014 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्रीमती लक्ष्मी बघेल,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, श्रीमती कुमारी मदन साहू, श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी, सर्वश्री बैदूराम कश्यप, देवजी पटेल, विरेन्द्र कुमार साहू, दूजराम बौद्ध।

सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 15, आदिम जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या 33, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 42, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या 49, अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 53, अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 64, पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित मांग संख्या 66, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 68, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 82, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 83 एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांग संख्या 20 प्रस्तुत की ।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

अनुदान मांगों की चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, सर्वश्री फूलचंद सिंह, बैदूराम कश्यप, विरेन्द्र कुमार साहू, (श्रीमती लक्ष्मी बघेल-अनुपस्थित), सर्वश्री रामजी भारती, दूजराम बौद्ध, सेवकराम नेताम, खेदूराम साहू, संतोष बाफना, जगेश्वर राम भगत, बर्नाड जोसेफ रोड्रिक्स, दीपक कुमार पटेल (चर्चा अपूर्ण)

सायं 5.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनाँक 14 मार्च, 2013 (फाल्गुन, 23 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा